


तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या: 85/2024
25-3-2026	<p>प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के वकील उपस्थित। चूंकि मूल निगरानी आवेदन आज निर्णित होकर खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में यह स्थगन प्रार्थना पत्र अब प्रभावहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  अति० जिला कलेक्टर, सिरोही </p>